ResultBharat.com

JSSC PGTTCE-2023 Regular: Education Qualification

<table>
<tr><th>क्र॰ सं॰</th><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th><th>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
(सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, जीव विज्ञान</td><td rowspan="10">पे मैट्रिक्स लेवल–8, 47,600 / – 1,51,100 / –</td><td rowspan="10">(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्याताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथा संशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी:–
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)।
अथवा
13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी॰ए॰एड॰ / बी॰एससी॰एड॰।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰ / एम॰एड॰।
(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।
(ग) उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट / 10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, रसायन शास्त्र</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भूगोल</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, हिन्दी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अर्थशास्त्र</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, इतिहास</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, संस्कृत</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, गणित</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, वाणिज्य</td></tr>
</table>

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
11.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अंग्रेजी		परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

ResultBharat.com

JSSC PGTTCE-2023 Backlog: Education Qualification

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, रसायन शास्त्र		(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व–प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कुलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्याताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथा संशोधित, 2021) के सुसंगत प्रवधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी:–

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
2.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, संस्कृत	पे मैट्रिक्स लेवल–8, 47,600 – 1,51,100/–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)। अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी॰एड॰)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी॰ए॰एड॰/ बी॰एससी॰एड॰। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰/ एम॰एड॰। (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के नि:शक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। (ग) उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/ 10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
3.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक शास्त्र		
4.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, गणित		
5.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, वाणिज्य		
6.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, अंग्रेजी		

ResultBharat.com